

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

—:: कार्यालय-आदेश ::—

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/मा/संस्था/सी-6/रावि/स्थानान्तरण/2019 दिनांक-29.09.2019 के तहत सुरेश चन्द गुप्ता व्याख्याता, राजनीति विज्ञान राउमावि सोढाना, विराटनगर, जयपुर का स्थानान्तरण राउमावि बील खेड़ा डांग, शाहबाद, बारां किया गया। सुरेश चन्द गुप्ता ने इस स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण जयपुर में अपील संख्या 3712/2019 सुरेश चन्द गुप्ता बनाम राज्य सरकार व अन्य दायर की गई।

अपील संख्या 3712/2019 में माननीय अधिकरण द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.12.2019 द्वारा अपीलार्थी सुरेश चन्द गुप्ता की अपील खारिज कर प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अभ्यावेदन देने की स्वतंत्रता प्रदान की।

माननीय अधिकरण निर्णय के क्रम में अपीलार्थी सुरेश चन्द गुप्ता द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत कर छः माह के अल्प समय में बहुत अधिक दूरी पर स्थानान्तरण होना, पारिवारिक परिस्थितियां अनुकूल नहीं होना एवं परिवार में वृद्ध विधवा माँ की जिम्मेदारी सूचारू रूप से निभाने के आधार पर अपना पदस्थापन राउमावि ब्लाणी बोराज, दूदू, राउमावि पनिहारी रोड़ ग्राम खनडेल सॉभर लेक में रिक्त पद की परिवेदना प्रस्तुत की गई।

अपीलार्थी से प्राप्त संबंधित अभिलेखों का राज्य सरकार और विभाग के दिशा निर्देशों/परिपत्रों और नियमों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण कर उनकी मांग पर विचार किया गया। राज्य सरकार द्वारा स्थानान्तरण के संबंध में जारी दिशा-निर्देशों दिनांक 24.09.2019 के अनुसार राज्य सेवा के कार्मिकों में पूर्णतः दृष्टिहीन, 70 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग, कैंसर, गुर्दा प्रत्यारोपण, हृदय शल्य चिकित्सा, विधवा, परित्यक्ता एवं शहीद की वीरगंगा से प्राप्त परिवेदनाओं को ही प्राथमिकता से स्थानान्तरण के निर्देश प्राप्त है। अपीलार्थी इनमें से किसी भी श्रेणी से संबंध नहीं रखता है।

अपीलार्थी द्वारा धारित व्याख्याता का पद राज्य सेवा के राजपत्रित स्तर का पद है, और नियोक्ता द्वारा उन्हें छात्र हित/राज्य हित अथवा प्रशासनिक कारणों से राज्य में कहीं पर भी पदस्थापन/स्थानान्तरण किया जा सकता है। अपीलार्थी द्वारा स्थानान्तरित स्थान पर दिनांक 13.11.2019 को कार्यग्रहण किया जा चुका है।

उपर्युक्त परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए अपीलार्थी द्वारा की गई मांग नियमानुकूल नहीं होने के कारण इनका अभ्यावेदन एतद्वारा खारिज किया जाकर निस्तारित किया जाता है। सभी संबंधित पक्षकार सूचित होंगे।



(हिमांशु गुप्ता)

आई.ए.एस.

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान


बीकानेर

क्रमांक: शिविरा/माध्य/संस्था/सी-6/अभ्यावेदन/स्थानान्तरण/को.के/19-20

➤ प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. संयुक्त विधि परामर्शी शिक्षा (विधि प्रकोष्ठ) विभाग
2. संबंधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा
3. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा
4. जि.शि.अ. (माध्य-विधि) जयपुर
5. विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा।
6. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
7. संबंधित प्राधानाचार्य/कार्मिक राउमावि/राउमावि
8. गार्ड फंक्शना।

दिनांक:- 17 / 01 / 2020



1 संयुक्त निदेशक(कार्मिक)